संदर्भ सं. राबैं.एमसीआईडी/1100 /डीएवाई-एनआरएलएम-पॉलिसी/2023-24

परिपत्र सं. 207/ एमसीआईडी - 07/2023

25 सितंबर 2023

(1) अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

(2) प्रबंध निदेशक

सभी राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) और वर्ष 2022-23 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत <u>महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज सहायता योजना – संशोधन</u>

कृपया उपर्युक्त विषयपर दिनांक 26 अगस्त 2022 का हमारा परिपत्र संख्या राबैं.एमसीआईडी/ 842/डीएवाई-एनआरएलएम/2022-23 का संदर्भ लें. इस संबंध में, हम आपका ध्यान अनुबंध II के खंड (xii),(xiii) और (xiv) की ओर आकर्षित करते हैं. डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा बैंको के साथ एसएचजी कोड साझा करने में देरी के कारण, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंको ने अपना अंतिम दावा प्रस्तुत नहीं किया. इसलिए ग्रामीण विकास विभाग (आरएल डिवीजन), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध के अनुसार, उपर्युक्त परिपत्र के अनुबंध II के खंड (xii), (xiii) और (xiv) में किए गए संशोधन निम्नानुसार हैं:

खंड सं.	मौजूदा दिशा निर्देश (अनुलग्नक – II)	संशोधन
(xii)	डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की दर से दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण पर दी गई ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए सभी बैंकों को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर (अर्थात् 30 जून 2023 , 30 सितंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 और 31	डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की दर से दिए गए रु.3 लाख तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह को रु.3 लाख से अधिक और रु.5 लाख तक के ऋण पर दी गई ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए सभी बैंकों को नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही आधार पर (अर्थात् 30 जून 2023 , 30 सितंबर 2023 , 31 दिसंबर 2023 और 31 मार्च 2024 तक) दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने

	मार्च 2024 तक) दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ दावा प्रमाण पत्र (मूल रूप से) होना चाहिए, जो ब्याज सहायता के दावों को सही और सत्य के रूप में प्रमाणित करता है. मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावों के साथ पूरे वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र को सही और सत्य माना जाना चाहिए.	की आवश्यकता है. किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों के साथ दावा प्रमाण पत्र (मूल रूप से) होना चाहिए, जो ब्याज सहायता के दावों को सही और सत्य के रूप में प्रमाणित करता है. मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए किसी भी बैंक के दावे वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत किए जा सकते है. हालाँकि, बैंको से पूरे वित्तीय वर्ष यानि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र जनवरी 2024 तक जमा करना आवश्यक है.
(xiii)	दावा प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक VI और VII के अनुसार होगा. वित्तीय वर्ष 2023 -24 से संबंधित सभी दावे बैंकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित 30 सितंबर 2023 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए.	दावा प्रमाणपत्रों का प्रारूप अनुलग्नक VI और VII के अनुसार होगा. वित्तीय वर्ष 2023 -24 से संबंधित सभी दावे बैंकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित 31 जनवरी 2024 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए.
(xiv)	वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए संवितरण से संबन्धित कोई भी शेष दावे और वर्ष के दौरान शामिल नहीं किए गए, उन्हें अलग से समेकित करें और 'अतिरिक्त दावे' के रूप में चिन्हित करें तथा इसे वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित कर नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिक से अधिक 30 सितंबर 2024 तक प्रस्तुत करें.	वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए संवितरण से संबन्धित कोई भी शेष दावे और वर्ष के दौरान शामिल नहीं किए गए, उन्हें अलग से समेकित करें और 'अतिरिक्त दावे' के रूप में चिन्हित करें तथा इसे वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित कर नाबार्ड के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को अधिक से अधिक 31 जनवरी 2024 तक प्रस्तुत करें.

2. पूर्व में जारी उपरोक्त परिपत्र और संशोधन (11 नवंबर 2022) में अन्य निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे.

भवदीया,

(एल. लेवांग)
मुख्य महाप्रबंधक